महत्वपूर्ण / आवश्यक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 9725/उ.सू.आ./2012 दिनांक : जुलाई 11, 2012

प्रेषितः

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : सहायक लोक सूचना अधिकारियों के दायित्वों के संबंध में.

महोदय/महोदया,

आयोग में योजित कतिपय द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान कतिपय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर होने वाली यह अनियमितता परिलक्षित हो रही है कि उनके द्वारा नामित सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी को अंतरित करने, आवेदनकर्ताओं से प्रतिलिपिकरण/अतिरिक्त शुल्क की मांग करने अथवा स्वयं अपने हस्ताक्षरों से ही सूचना देने के कार्य भी किये जा रहे हैं, जबकि यह कार्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए. यह स्थिति नितांत गंभीर एवं आपत्तिजनक है तथा अधिनियम के प्राविधानों के सम्मत नहीं है.

2. उपरोक्त के कम में सभी लोक प्राधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति मात्र अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों को प्राप्त करने तथा ऐसे प्राप्त अनुरोध पत्रों / प्रथम अपीलों को संबंधित लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम

अपीलीय अधिकारी को अग्रसारित करने के लिए की जाती है. अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत अनुरोध पत्रों पर सूचना देने अथवा आवेदनकर्ताओं से प्रतिलिपिकरण/अतिरिक्त शुल्क की मांग करने, तथा धारा 6(3) के अंतर्गत अनुरोध पत्रों/प्रथम अपीलों को किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपील अधिकारियों को अंतरित करने का अधिकार सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त नहीं है.

3. यदि किसी अवधि में किसी भी कारणवश अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत नामित लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तब ऐसी स्थिति एवं अवधि में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पृथक से लोक सूचना अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए. किसी भी दशा में लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों / दायित्वों का प्रयोग/पालन सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए.

4. समस्त लोक प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष कृपया अपने एवं अपने अधीनस्थ स्तरों पर नामित लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को आयोग के उक्त निर्देशों से समुचित रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें. भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरणों पर आयोग स्तर से संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि : सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों तथा आयोग के उपरोक्त निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त